न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/7265/2001/कोटा

1.कंवर लाल पुत्र स्व.भीमडा

2. रामकरण पुत्र स्व.भीमडा

3. साहबलाल पुत्र स्व.भीमडा

4. ग्यारसी बेबा स्व.भीमडा

सभी जाति मीणा निवासीगण ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

5. जानकी बाई पुत्री स्व.भीमडा पत्नी किशन लाल मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बांरा

6. रामप्यारी पुत्री भीमडा पत्नी रामप्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम भारेला तहसील मांगरोल जिला बांरा

अपीलार्थी

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र किशन लाल

2. रमेश चन्द पुत्र रामकल्याण

3. छपना पुत्र कान्हा सभी जाति मीणा निवासी नयांगांव दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

4. प्रभु लाल पुत्र रामनाथ जाति नाई

5. झुझार लाल पुत्र देव लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

6. रामकुमार पुत्र स्व.रामचन्द्र

7. मांगी लाल पुत्र स्व.रामचन्द्र

8. बजरंग लाल पुत्र देव लाल निवासीगण ग्राम नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री आर.के.जायसवाल सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित

श्री जे.के.पारीक अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 08.01.2019

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 8–10–2001 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में अपीलार्थी के पूर्वज भीमडा द्वारा प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88 व188 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद को विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31–12–85 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–85 को निरस्त कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी रामकल्याण ने राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। मण्डल की खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 5–11–96द्वारा अपील खारिज कर पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथी को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया। मण्डल की खण्ड पीठ के आदेशों की पालना में विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को तलब कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 30–9–2000से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8–10–2001 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 5–11–96 को भीमडा के कायम

मुकामान को रेकार्ड पर लिया था और इसी प्रकार उसी आदेश में मृतक भेरू लाल के स्थान पर उसके कायम मुकामान रमेश चन्द को रेकार्ड पर लिया था और प्रत्यर्थी संख्या 6 रामचन्द्र के कायम मुकाम रामकुमार व मांगी लाल को रेकार्ड पर लिया था। जिन्हें बकायदा प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड होने के बाद दावे में रेकार्ड पर लेकर उन्हें सुनवाई हेतु तलब किया जाना चाहिये था किन्तु मण्डल द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने के बाद कायम मुकामान को सुनवाई हेतु न तो नोटिस जारी किया गया और न ही बतौर प्रतिवादी उनको दावा संशोधन कर रेकार्ड पर लिया गया, न ही संशोधित टाइटल पेश करवाया गया। इस प्रकार राजस्व मण्डल के आदेशों के विपरीत जाते ंहुये सभी न्यायालयों ने विधिक भूल की है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रामकल्याण को किशना का वारिस मानने में विधिक भूल की है क्योंकि किशना लाऔलाद फौत हुआ था। कान्हा की मृत्यु के बाद अपीलार्थी वादी के पिता भीमडा जरिये वसीयतनामा मालिक बने किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही साक्ष्य के द्वारा उक्त तथ्य का विश्लेषण किया। अपीलार्थीगण के पिता के नाम विवादित आराजी का नामान्तरकरण दिनांक 20-10-78को तस्दीक किया जा चुका था जिसे दिनांक 23-4-84 को भूप्रबन्ध अधिकारी कोटा ने भी बहाल रखा था जो अपीलार्थी के पिता के पक्ष में था। कान्हा एवं किशना के संयुक्त खाते की आराजी ग्राम नोनेरा एवं दुर्जनपुरा में स्थित है। कान्हा व किशना सगे भाई थे उनके मरने के उपरान्त उक्त दोनों की आधी आधी भूमि पर उनके वारिसान के रूप में कान्हा के हिस्से पर अपीलार्थी के पिता भीमडा काश्त कर रहे थे और भीमडा की मृत्यु के बाद अपीलार्थी काबिज चले आ रहे हैं। किशना की मृत्यु के बाद उसके आधे हिस्से की आराजी पर रामकल्याण का नाम दर्ज हुआ। अतः कान्हा के 1/2हिस्से को अपीलार्थी के पिता के नाम वसीयत किये जाने से यह भूमि भीमडा के खाते दर्ज करते हुये अपीलार्थी के पक्ष में दावा डिक्री किया जाना चाहिये था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर अपीलार्थी वादी का वाद डिक्री किया जावे।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि जहां तक राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ के निर्णय की पालना विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने का प्रश्न है,भीमडा का कायम मुकाम

रामकरण न्यायालय में उपस्थित रहा है। आदेशिका में उसके हस्ताक्षर हैं। भीमडा सभी कायम मुकामान की ओर से वकालतनामा पेश हुआ है। इसलिये अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जहां तक संशोधित दावा या टाइटल प्रस्तुत करने का प्रश्न है दावा अपीलार्थी की ओर से ही पेश किया गया है। किशना के 1/2हिस्से तक कोई विवाद नहीं है। जहां तक अपीलार्थी के पिता के पक्ष में निष्पादित वसीयत का प्रश्न है, वसीयत प्रमाणित नहीं हुई है। इस बाबत दोनों अधीनस्थ न्यायालयों विस्तृत विवेचन किया है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से पर यह स्थिति स्पष्ट होंती है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में अपीलार्थी के पूर्वज भीमडा द्वारा प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88 व188 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद को विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31-12-85 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-12-85 को निरस्त कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी रामकल्याण ने राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। मण्डल की खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 5-11-96द्वारा अपील खारिज कर पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथी को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया। साथ ही विचारण न्यायालय को यह हिदायत दी गई थी कि इस प्रकरण में मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व स्व.भीमडा के वारिसान के अलावा रामकरण को पुनः दावे में कार्यवाही शुरू करने की सूचना देने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही करें। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सम्मन जारी किये गये हैं। भीमडा के कायम मुकामान की ओर से श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है।वकालतनामा पेश होने के बाद उभय पक्ष की बहस सुनी गई है

और तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। इसके अलावा तामील से सम्बन्धित बिन्दु अपील में नहीं उठाया जा सकता। अपील के स्तर पर केवल गुणावगुण पर बहस कर सकते हैं। यदि तामील सम्बन्धी कोई आपति अपीलार्थी को थी तो वे इस हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये तामील के बिन्दु पर प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता है।

8. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है,अपीलार्थी ने कान्हा द्वारा भीमडा के पक्ष में निष्पादित तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 12-2-78 को ही दावे का मुख्य आधार बताया है। यह कथन किया गया है कि कान्हा द्वारा भीमडा के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर ही भीमडा जमीन पर काबिज हुआ और भीमडा की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण काबिज हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने तथाकथित वसीयत पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जिसमें भीमडा स्वयं के तथा कवंर लाल के बयान कराये गये हैं। अन्य गवाह बालमुकन्द व रामकिशन ने बयान किया है कि वसीयत किसने लिखी और उसके कौन कौन गवाह थे,उन्हें जानकारी नहीं है। भीमडा और उसके पुत्र कवंर लाल के वसीयत के सम्बन्ध में दिये गये बयानों में भिन्नता है। वसीयत दिनांके 12-2-78 में अन्य गवाहों के भी हस्ताक्षर हैं लेकिन उनके बयान नहीं कराये गये हैं। भीमडा बसन्तपंचमी के दिन वसीयत करना कथन करता है जबकि गवाह कंवर लाल का कथन है कि बसन्तपंचमी के दिन रसोई की थी और दूसरे दिन वसीयत की गई थी।वसीयत के लिखने के स्थान के बारे में भी दोनों गवाह भिन्न भिन्न कथन करते हैं। इसलिये वसीयत सिद्ध नहीं होने से कान्हा के 1/2हिस्स में भीमडा का कोई हक बनना नहीं पाया जाता है। इसलिये विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सही रूप से पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हम बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not qcquired title by sale deed- Therefore in this cecond appeal unless it is found that the findkigs recorded are illegal or purchase in nuture, till lthen this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

9. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य